

2022/124

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री नासिर मौहम्मद पुत्र श्री जीमल मोहम्मद  
जाति मोहम्मद


सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

निवासी अनादरा तह. रेवदर  
जिला सिरौही।

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 20 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.03.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 28.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा दिनांक 23.12.2021 को रजिस्ट्री एडी के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा था। उस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 28.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा दिनांक 23.12.2021 को रजिस्ट्री एडी के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा था। उस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 113 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा अपीलांत को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(डॉ. भैवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

